समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

बी0पी0एल0ई0 अपील संख्या–66 / 2019–20

मृत्यूंजय कुमार मांझी एवं अन्य

–बनाम्–

झारखण्ड राज्य सरकार

–::आदेश::–

10.04.2023 अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। समाहर्त्ता–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो के B.P.L.E CASE No.–05 / 2019 (रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर चास बनाम मृत्यूंजय कुमार मांझी एवं अन्य) में दिनांक–26. 07.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपीलवाद U/s 11 of the J.P.L.E Act, 1956 के अन्तर्गत दायर किया गया है।

उक्त अपील थाना चन्दनकियारी, थाना सं0–176, मौजा झालबड़दा के खाता सं0– 321, प्लॉट सं0–08 रकवा–2.00 एकड़ वनभूमि के अतिक्रमण से संबंधित है। जिसके क्रम में अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य सरकार की ओर से विज्ञ सरकारी अधिवक्ता, बोकारो को सुना गया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दलील दिया गया कि निम्न न्यायालय के द्वारा आदेश पारित करने के पूर्व इस तथ्य को नहीं देखा गया कि प्रश्नगत भूमि रैयती खाते की है। उक्त भूमि पर अपीलकर्त्ता एवं उसके सह हिस्सेदार का वर्षों से शांति पूर्वक दखल–कब्जा है और मालिकाना हक से संबंधित सभी वैध कागजात उनके पास मौजूद है। उनके अधिवक्ता द्वारा यह भी दलील दिया गया कि निम्न न्यायालय के द्वारा उन पर जो अतिक्रमण का आरोप लगाया गया है वह तथ्यहीन एवं काल्पनिक है, क्योंकि प्रश्नगत भूमि लोक भूमि नहीं है। अपीलकर्त्ता के द्वारा प्रश्नगत भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि प्रश्नगत भूमि जनार्दन किशोर सिंह के नाम से निबंधित पट्टा सं0–2348 दिनांक–05.03.1929 के द्वारा बंदोबस्त किया गया है। बंदोबस्ती के पश्चात अपीलकर्त्ता सं0–1 के पिता स्व0 कोकिल मांझी दखलकार हुए और उनके स्वर्गवास होने के पश्चात उनके उत्तराधिकारी प्रश्नगत भूमि पर

दखलकार है और उनके नाम से सरकारी लगान रसीद निर्गत हो रहा है। वर्तमान में प्रश्नगत भूमि पर अपीलकर्त्ता एवं सह–हिस्सेदार का दखल–कब्जा है। उनके अधिवक्ता का यह भी कथन है कि राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 1958 में निर्गत अधिसूचना की अवधि 30 वर्षों से अधिक हो चुकी और उसकी वैधता समाप्त हो गयी है क्योंकि सरकार के द्वारा अब तक उक्त अधिसूचना का नवीकरण नहीं किया गया है। U/s 29 of the I.F Act, 1927 वन भूमि एवं बंजर भूमि पर लागू होता है न कि रैयती भूमि पर। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर अपीलकर्त्ता के विरूध B.P.L.E Act के अन्तर्गत कार्रवाई करना उचित नहीं है।

राज्य सरकार की ओर से विद्वान सरकारी अधिवक्ता, बोकारो द्वारा दलील दिया गया कि रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, चास के द्वारा पत्र सं0 476 दिनांक–02.03.2019 के माध्यम से सूचना दी गई थी कि अपीलकर्त्ता द्वारा मौजा झालबड़दा, थाना वन्दनकियारी, थाना सं0–176 के प्लॉट सं0–08, रकवा–2.00 एकड़ जो अधिसूचित वन भूमि है, जिसे अतिक्रमण किया जा रहा है और उनके अभियुक्ति प्रतिवेदन के आधार पर यह मामला प्रस्तुत किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त प्लॉट की भूमि अधिसूचित संरक्षित वन भूमि है जो बिहार सरकार के अधिसूचना सं0–C/F-17014/58-1429R दिनांक–24.05.1958 के अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम की धारा–29 से अच्छादित है तथा प्रश्नगत प्लॉट सहित अधिसूचना में वर्णित सभी प्लॉटों पर बिहार सरकार (अब झारखण्ड राज्य सरकार) के वन एवं पर्यावरण विभाग का दखल कब्जा है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता का अभिकथन है कि वनभूमि चिन्हित करने के पूर्व बिहार सरकार द्वारा नियुक्त वन बन्दोबस्त पदाधिकारी ने सभी प्राईवेट पार्टियों को सुनने एवं कागजातों को देखने के पश्चात वनभूमि को नक्शे में हरित पट्टी के साथ चिन्हित करते हुए उनके द्वारा उस नक्शे पर हस्ताक्षर बनाया गया। उसी नक्शे पर वन प्रमण्डल पदाधिकारी एवं Superintendent of surveyor के द्वारा भी हस्ताक्षर अंकित किया गया है। उक्त अधिसूचना के प्रकाशित होने के पश्चात ही भारतीय वन अधिनियम की धारा–30 एवं 31 से संबंधित अधिसूचना का प्रकाशन किया गया है। उनके द्वारा यह भी कहा

गया कि अपीलार्थी द्वारा अवैध तरीके से वनभूमि का अतिक्रमण करने की मंशा से ही अपने पक्ष में कई दस्तावेज बनाया गया है। अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से अबतक कभी भी अपीलकर्त्ता का प्रश्नगत भूमि पर शांतिपूर्वक दखल–कब्जा नही रहा है। उक्त भूमि वन विभाग के पूर्णतः दखल–कब्जे में है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथ्य पर आधारित एवं उचित प्रतीत होता है।

दोनो पक्षों की दलील एवं अभिलेख में संधारित अन्य कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौजा झालबड़दा, थाना चन्दनकियारी, थाना सं0–176 के प्लॉट सं0–08, रकवा–2.00 एकड़ संरक्षित वनभूमि है जो बिहार सरकार के अधिसूचना सं0–C/F-17014/58-1429R दिनांक–24.05.1958 अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम की धारा–29 से अच्छादित है। वनभूमि चिन्हित करने के पूर्व बिहार सरकार द्वारा नियुक्त वन बन्दोबस्त पदाधिकारी ने सभी प्राईवेट पार्टियों को सुनने एवं कागजातों को देखने के पश्चात वनभूमि के नक्शे में हरित पट्टी के साथ चिन्हित करते हुए उनके द्वारा उस नक्शे पर हस्ताक्षर बनाया गया। उसी नक्शे पर वन प्रमण्डल पदाधिकारी एवं Superintendent of surveyor के द्वारा भी हस्ताक्षर अंकित किया गया है। उसके बाद ही अधिसूचना का प्रकाशन किया गया है। ऐसे में जारी अधिसूचना के प्रमाणिकता पर इतनी लंबी अवधि के उपरान्त प्रश्न उठाना उचित प्रतीत नहीं होता है। जहाँ तक प्रश्नगत भूमि के स्वामित्व का प्रश्न है, इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है।

वर्णित परिस्थिति में समाहर्त्ता–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो के B.P.L.E CASE No.–05/2019 (रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर चास बनाम मृत्युंजय कुमार मांझी एवं अन्य) में दिनांक–26.07.2019 को पारित आदेश पर हस्तक्षेप करने का कोई ठोस आधार नहीं है। अतः अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है एवं वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

10.4.23 | 10.4.23
समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी, बोकारो। | समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी, बोकारो।

C.C. Issued Vide 4336 Dated 25/7/23

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.02.19 16:41:25 +05:30
Location: 192.168.1.103